न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस

<u>अपील संख्याः 66/2016 एल.आर.एक्ट</u>

1. जमना बाई बेवा बूड़सिंह जाति रायसिख निवासी निरवाना तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर ।
2. सुखविन्द्र कौर पुत्री बूड़सिंह जाति रायसिख निवासी निरवाना तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर ।
3. सुखविन्द्रसिंह
4. सुनीता रानी नाबालिग पुत्र पुत्रियां बूडसिंह जरिये वली कुदरती माता जमनादेवी
5. समित्रा बाई जाति रायसिख निवासीयान निरवाना तह0 सूरतगढ जि0 श्रीगंगानगर।
6. सुखदेवसिंह

अपीलान्ट्स

बनाम

1. बूडसिंह पुत्र हुकमसिंह जाति रायसिख निवासी चक 6 एनआरडी (निरवाना) तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर ।
2. ग्राम पंचायत निरवाना पंचायत समिति निरवाना ।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ ।

..........रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः 1— श्री विजयकुमार पारीक, अभिभाषक अपीलान्ट ।
2— श्री महावीर शर्मा, अभिभाषक रेस्पोन्डेंट सं01
3—श्री सुभाष सहू, राजकीय अभिभाषक ।

निर्णय

दिनांक 26.9.2018

1. यह द्वितीय अपील राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर के द्वारा प्रथम अपील सं0 95/2014 अनवान बूडसिंह बनाम जमनाबाई वगैरह में पारित किये गये निर्णय दिनांक 18.11.15 जिसके द्वारा प्रथम अपील स्वीकार की जाकर विरास्तन इन्तकाल सं0 103 दिनांक 20.2.14 निरस्त किया जाकर इस रकबा की इन्तकाल सं0 103 से पूर्व की स्थिति बहाल करने के आदेश दिये, के विरुध्द प्रस्तुत हुई है ।

2. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अभिलेख अनुसार खातेदार बुडसिंह पुत्र हुक्मसिंह कौम रायसिख निवासी निरवाना तहसील सूरतगढ के नाम चक 6 एनआरडी के पत्थर नं0 91/319 मे 6.200 हैक्टेयर कमाण्ड भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी । बुडसिंह का देहान्त हो जाने पर मुताबिक मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वारिसान प्रमाण पत्र के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण सं0 103 दिनाक 11.11.13 को दर्ज कर निरीक्षक हल्का की दिनांक 19.2.14 को सही अंकन होने की रिपोर्ट के पश्चात दिनांक 20.2.14 को सरपंच, ग्राम पंचायत, निरवाना द्वारा ग्राम पंचायत की बैठक के प्रस्ताव सं0

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

1 द्वारा बुडसिंह के वारिसान के नाम से उक्त नामान्तरकरण सं0 103 दिनांक 20.2.14 अपीलान्ट सं0 1 ता 6 के नाम स्वीकृत कर दिया गया । उक्त नामान्तरकरण सं0 103 दिनांक दिनांक 20.2.14 के विरुध्द रेस्पोन्डेंट सं01 द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतरगढ के समक्ष राज. भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत प्रथम अपील सं0 95/2014 प्रस्तुत की गयी, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय़ पक्ष की सुनवाई के पश्चात दिनांक 18.11.15 को प्रथम अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर विरास्तन नामान्तरकरण सं0 103 दिनांक 20.2.14 इस आधार निरस्त किया गया कि विवादित भूमि के सम्बन्ध में माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में अपील सं0 3939/2013 इस रकबा की बाबत आज भी जेरकार है, इसलिए उक्त अपील के निर्णय होने पर तद्नुसार कार्यवाही करने के लिए पक्षकार स्वतंत्र रहेंगे । उपखण्ड न्यायालय द्वारा पारित किये गये उक्त निर्णय दिनांक 18.11.2015 के विरुध्द अपीलान्ट्स द्वारा इस न्यायालय में यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है ।

3. दिनांक 25.4.16 को यह अपील अपीलान्ट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेंट की तलबी की गयी एवम् अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया गया । अपील में अभिभाषक अपीलान्ट की बहस सुनी गयी एवं रेस्पोन्डेंट सं01 के अभिभाषक द्वारा प्रकरण में लिखित बहस प्रस्तुत की गयी, जिसे शामिल पत्रावली किया ।

4. अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में बताया कि अपीलान्टान के पति/पिता बूडसिह पुत्र हुक्मसिंह रायसिख निवासी निरवाना को चक 6 एनआरडी के मु0 नं0 91/319 में 6.200 हैक्टेयर भूमि आवंटित थी । बूड़सिंह का स्वर्गवास होने के बाद उसके वारिसान (अपीलान्टान) के नाम से इन्तकाल सं0 103 दिनाक 20.2.14 को दर्ज हो गया । यह कि उक्त इन्तकाल सं0 103 दिनांक 20.2.14 के विरुध्द तथाकथित फर्जी बूडसिंह ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील सं0 95/2014 दायर की जो गलत रुप से स्वीकृत कीगयी है । जबकि अपीलान्टान के पति/पिता की वास्तविक बूडसिंह था, जिसके स्वर्गवास होने के पश्चात् उसी गांव के सरपंच व ग्राम पंचायत ने पूरी जांच करके अपीलान्टान के नाम से विरास्तन इन्तकाल स्वीकृत किया गया । यह कि विवादित भूमि रेस्पोन्डेंट सं01 को कभी भी टी.सी. पर आवंटित नहीं हुई है, बल्कि वह इस भूमि को हड़प करना चाहता है । रेस्पोन्डेंट का विवादित भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं रहा, जबकि अपीलान्टान का मौके पर अपने पति/पिता बूडसिंह के समय से ही चला आ रहा है । प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की सुनवाई के पश्चात निर्णय दिनांक 18.11.15 पारित कर प्रथम अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर विरास्तन नामान्तरकरण सं0 103 दिनांक 20.2.14 इस आधार निरस्त किया गया कि विवादित भूमि के सम्बन्ध में माननीय राजस्व मण्डल,

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अजमेर में अपील सं0 3939/2013 जेरकार है, इसलिए उक्त अपील के निर्णय होने पर तद्नुसार कार्यवाही करने के लिए पक्षकार स्वतंत्र रहेंगे । जबकि इस प्रकारण में अपीलान्ट्स के पिता बूडसिंह पुत्र हुकमसिंह के नाम से उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ के आदेश दिनांक 7.3.02 द्वारा उक्त विवादित भूमि का आवंटन करने पर रेस्पोन्डेंट सं01 (तथाकथित बूडसिंह) द्वारा उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के उक्त आवंटन आदेश दिनांक 7.3.02 के विरुध्द न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष धारा–75 के अन्तर्गत प्रथम अपील सं0 56/11 अनवान बूडसिंह बनाम स्टेट, बूडसिंह प्रस्तुत की गयी, जिसमें निर्णय दिनांक 3.4.13 पारित किया गया कि इ.गा.न.प. क्षेत्र में राजकीय भूमि आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 13क सपठित नियम 24 के अन्तर्गत विवादित भूमि का आवंटन करने के जो आदेश दिये हैं, उसके विरुध्द अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार की जाती है । राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के उक्त अपीलीय निर्णय दिनांक 3.4.2013 के विरुध्द रेस्पोन्डेंट सं01 द्वारा न्यायालय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर में अपील सं0 3939/2013 अनवान ज्ञानी बूडसिंह बनाम बूडसिंह (मृतक) कायम मुकाम वारिसान जमना बाई वगैरह प्रस्तुत की गयी, जो रेस्पोन्डेंट सं01 द्वारा विड्रा किये जाने माननीय राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 15.7.2016 द्वारा जरिये विड्रा खारिज की गयी है । इसके अलावा रेस्पोन्डेंट सं01 बूडसिंह द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के समक्ष दिनांक 2.5.2016 को आर.टी एक्ट के अन्तर्गत दावा सं0 90/2016 प्रस्तुत किया गया, जो उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के आदेश दिनांक 24.1.17 द्वारा अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका है । अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.11.15 के विरुध्द अपीलान्ट् द्वारा अपील देरी से प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में अभिभाषक अपीलान्ट ने आगे अपनी बहस में बताया कि दिनांक 20.4.16 को हल्का पटवारी ने अपीलान्टान को बतलाया कि तुम्हारा विरास्तन इन्तकाल खारिज करने का आदेश हो चुका है तब अपीलान्ट द्वारा दिनांक 21.4.16 को अपने अधिवक्ता से मिलने पर वास्तविक जानकारी हुई एवम दिनांक 22.4.16 को नकल प्राप्त होने पर दिनांक 25.4.16 को इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत कर दी गयी है । अपीलान्टान द्वारा जानकारी से अन्दर मियाद यह अपील प्रस्तुत की गयी है । अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा मियाद के सम्बन्ध में आरआरडी 1998 पेज 319 एवम् आरआरडी 2016 पेज 770 अवलोकनीय बताते हुए अपील अपीलान्ट्स स्वीकार करने हेतु निवेदन किया ।

5. प्रकरण में विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेंट सं01 द्वारा अपनी लिखित बहस में निवेदन किया है कि अपीलान्ट जमना बाई वगैरह ने असली बूडसिंह पुत्र हुकमसिंह (रेस्पो.नां01) के जीवित होते हुए भी उसे मृतक बताते हुए अपने नाम से विरास्तन इन्तकाल सं0 103 दिनांक 20.2.14 स्वीकृत करवा लिया । अपीलान्ट्स अपने को

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

बूडसिंह का वारिसान मानते हैं तो उन्हें सक्षम न्यायालय से अपने आपको बूडसिंह का वारिस या उत्तराधिकारी घोाषित करवाया जाना आवश्यक है । अपीलान्ट्स ने ग्राम पंचायत से जो वारिस प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, जबकि पंचायत को वारिस प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार प्राप्त नहीं है । इसलिए वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकृत किया गया इन्तकाल सही नहीं होने से उपखण्ड न्यायालय द्वारा उक्त इन्तकाल उचित ही खारिज किया गया है । यह कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.11.15 दोनों पक्षों की उपस्थिति में उनको सुनकर पारित किया गया है, इस कारण से अपीलान्ट्स द्वारा इस न्यायालय में पेश की गयी यह द्वितीय अपील स्पष्ट रुप से मियाद बाहर है । अपीलान्टान द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में मियाद कण्डोन करने के जो आधार दिये हैं, वह समुचित नहीं है । पटवारी का कोई शपथ पत्र पेश नहीं किया है, इसलिए यह अपील अपीलान्ट मियाद बिन्दु पर खारिज किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज़ फरमाई जावे ।

6. हमने उभय पक्ष की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । नियमानुसार द्वितीय अपील प्रस्तुत करने हेतु 60 दिवस की अवधि निर्धारित है परन्तु न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ के अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.11.15 के विरुध्द अपीलान्ट्स जमना बाई वगैरह द्वारा दिनांक 25.4.16 को यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है । अपीलान्ट्स द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अपील प्रस्तुत करने में देरी का कारण यह बतलाया है कि अपीलान्ट्स को अपीलाधीन आदेश की जानकारी अधिवक्ता द्वारा नहीं दी गयी। अपीलान्टान को दिनांक 20.4.16 को हल्का पटवारी ने बताया कि तुम्हारा इन्तकाल उपखण्ड न्यायालय से खारिज हो चुका है । इस पर दिनांक 21.4.18 को अपीलान्ट्स अपने अधिवक्ता से मिले तो वास्तविक जानकारी प्राप्त कर दिनांक 22.4.18 को अपीलाधीन आदेश की नकल प्राप्त की जाकर जानकारी से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत की गयी है । अभिभाषक अपीलान्टान के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए न्याय हित में यह अपील अपीलान्ट्स मियाद में शुमार की जाती है ।

7. प्रकरण में उभय पक्ष की बहस के अनुसार न्यायालय का निम्नलिखित स्थति स्पष्ट होती है :–

I. अभिभाषक अपीलान्ट की बहस एवं अभिलेख अनुसार अपीलान्ट्स के पिता बूडसिंह पुत्र हुकमसिंह के नाम से उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ के आदेश दिनांक 7.3.02 द्वारा विवादित भूमि चक 6 एनआरडी के मु0 नं0 91/319 में 6.200 हैक्टेयर का आवंटन हुआ है ।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

II. रेस्पोन्डेंट सं01 (ज्ञानी बूडसिंह) द्वारा उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के उक्त आवंटन आदेश दिनांक 7.3.02 के विरुध्द न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष धारा–75 के अन्तर्गत प्रथम अपील सं0 56/11 अनवान बूडसिंह बनाम स्टेट, बूडसिंह प्रस्तुत की गयी । जिसमें निर्णय दिनांक 3.4.13 पारित कर यह स्पष्ट किया गया कि इ.गा.न.प. क्षेत्र में राजकीय भूमि आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 13क सपठित नियम 24 के अन्तर्गत विवादित भूमि का आवंटन करने के जो आदेश दिये हैं, उसके विरुध्द अपील स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार की जाती है ।

III. राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के उक्त प्रथम अपीलीय निर्णय दिनांक 3.4.2013 के विरुध्द रेस्पोन्डेंट सं01 ज्ञानी बूडसिंह द्वारा न्यायालय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर में अपील सं0 3939/2013 अनवान ज्ञानी बूडसिंह बनाम बूडसिंह (मृतक) कायम मुकाम वारिसान जमना बाई वगैरह प्रस्तुत की गयी, जो स्वयं रेस्पोन्डेंट सं01 द्वारा विड्रा किये जाने माननीय राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 15.7.2016 द्वारा जरिये विड्रा खारिज की गयी है ।

IV. इसके अलावा रेस्पोन्डेंट सं01 बूडसिंह द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के समक्ष दिनांक 2.5.2016 को आर.टी एक्ट के अन्तर्गत दावा सं0 90/2016 भी प्रस्तुत किया गया, जो उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के आदेश दिनांक 24.1.17 द्वारा अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका है ।

V. प्रकरण में विरास्तन नामान्तरकरण सं0 103 दिनांक 20.2.14 के विरुध्द उपखण्ड न्यायालय सूरतगढ के समक्ष प्रस्तुत की गयी प्रथम अपील में उपखण्ड न्यायालय द्वारा विरास्तन नामान्तरकरण सं0 103 दिनांक 20.2.14 इस आधार निरस्त किया गया कि विवादित भूमि के सम्बन्ध में माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में अपील सं0 3939/2013 विवादित भूमि के बाबत आज भी जेरकार है, इसलिए उक्त अपील के निर्णय होने पर तद्नुसार कार्यवाही करने के लिए पक्षकार स्वतंत्र रहेंगे । जबकि अभिभाषक अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत की गयी प्रमाणित प्रति के अनुसार माननीय राजस्व मण्डल में विचाराधीन अपील सं0 3939/2013 में दिनांक 15–7–2016 को निस्तारण होकर रेस्पोन्डेंट सं01 ज्ञानी बूडसिंह की द्वितीय अपील जरिये विड्रावल खारिज हो चुकी है ।

8. उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलान्ट्स के पिता बूडसिंह पुत्र हुकमसिंह के नाम से उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ के आदेश दिनांक 7.3.02 द्वारा विवादित भूमि चक 6 एनआरडी के मु0 नं0 91/319 में 6.200 हैक्टेयर का आवंटन होने के पश्चात उक्त आवंटन के विरुध्द रेस्पोन्डेंट सं01 ज्ञानी बूडसिंह द्वारा प्रथम अपील सं0 56/11 राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर में प्रस्तुत की गयी, जो दिनांक 3.4.13 को

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

खारिज हो चुकी है । राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय दिनांक 3.4.13 के विरुध्द रस्पोन्डेंट सं01ज्ञानी बूडसिंह द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में द्वितीय अपील सं0 3939/2013 प्रस्तुत की गयी, जो निर्णय दिनांक 15–7–2016 द्वारा खारिज हो चुकी है । इसके अलावा रेस्पोन्डेंट सं01 ज्ञानी बूडसिंह द्वारा उपखण्ड न्यायालय, सूरतगढ में दावा सं0 90/2016 प्रस्तुत किया गया, जो आदेश दिनांक 24.1.17 को अदम पैरवी में खारिज हो चुका है। ऐसी स्थिति हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अपीलान्ट्स के पिता बूडसिंह पुत्र हुकमसिंह के नाम से उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ के आदेश दिनांक 7.3.02 द्वारा विवादित भूमि चक 6 एनआरडी के मु0 नं0 91/319 में 6.200 हैक्टेयर का भूमिहीन में आवंटन होने के पश्चात उसका देहावसान होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वारिस प्रमाण पत्र के आधार ग्राम पंचायत, निरवाना द्वारा विरास्तन का नामान्तरकरण सं0 103 दिनांक 20.2.14 स्वीकृत किया गया है, वह बहाल किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार करते हुए न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.11.2015 को निरस्त किया जाता है तथा ग्राम पंचायत निरवाना द्वारा स्वीकृत किया गया विरास्तन इन्तकाल सं0 103/20.2.14 को बहाल किया जाता है ।

9. तद्नुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 26.9.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
सम्भागीय आयुक्त
बीकानेर